न्यायालयः– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – रंजना,
आर.जे.एस.

फौजदारी नंबरी प्रकरण संख्याः – 250/2016

एफआईआर संख्याः – 277/2016, पुलिस थाना उदयपुरवाटी

अन्तर्गत धारा 279, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता

सरकार बनाम परमेश्वरलाल

सी.आई.एस. नंबर – Cr. Reg. Case/193/2026

CNR No. RJJH130017762016

निर्णय दिनांक – 20 अगस्त, 2026

भाग–प्रथम

A

परिवादी	प्रवीण कुमार पुत्र सभाचन्द, निवासी ढाणी ढाबाला नापावाली, पुलिस थाना नीमकाथाना सदर, जिला सीकर
प्रस्तुतकर्ता	अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व पता	परमेश्वरलाल पुत्र गोपीराम, उम्र 38 वर्ष निवासी नायकान मौहल्ला भड़कासली, पुलिस थाना धोद, जिला सीकर
अधिवक्ता अभियुक्त परमेश्वरलाल	श्री आनन्द सिंह

B

अपराध की दिनांक	14.08.2016
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	15.08.2016
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	09.09.2016
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	12.07.2017
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	22.02.2021
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	–
निर्णय दिनांक	20.08.2026

दण्डादेश की दिनांक	–

C

अभियुक्त का विवरण

क्र.सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा–428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	**परमेश्वरलाल**	21.08.16	21.08.16	279, 304 ए IPC	दोषमुक्त	–	–

भाग–द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
गवाह संख्या	नाम गवाह	विवरण
पी.डब्ल्यू 1	प्रवीण	बयान धारा 161 द.प्र.सं., ताईद एफआईआर, नक्शा मौका, फर्द निरीक्षण व सुपुर्दगी मोटरसाईकिल, पंचायतनामा
पी.डब्ल्यू 2	बाबुलाल	बयान धारा 161 द.प्र.सं., पंचायतनामा
पी.डब्ल्यु. 3	जयसिंह इनिया	नोटिस धारा 133 एम.वी. एक्ट, फर्द जब्ती कागजात
पी.डब्ल्यु. 4	महेन्द्र कुमार	बयान धारा 161 द.प्र.सं., नक्शा मौका, पंचायतनामा, फर्द जब्ती वाहन सुपुर्दगी
पी.डब्ल्यु. 5	बाबुलाल	बयान धारा 161 द.प्र.सं., पंचायतनामा
पी.डब्ल्यु. 6	सुरेश कुमार	फर्द जब्ती वाहन सुपुर्दगी व नक्शा मौका
पी.डब्ल्यु. 7	डॉ० मनोज कुमार	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
पी.डब्ल्यु. 8	सवाईदान	फर्द जब्ती कागजात

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह,

		चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
--	--	--

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
--		

<u>अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श</u>

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी 1	तहरीरी रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी 2	फर्द जब्ती होण्डा कार आरजे 23 सीए 8199
03	प्रदर्श पी 3	फर्द निरीक्षण व सुपुर्दगी मोटरसाईकिल
04	प्रदर्श पी 4	फर्द पंचायतनामा मृतक सुमेरसिंह
05	प्रदर्श पी 5	फर्द सुपुर्दगी लाश सुमेरसिंह
06	प्रदर्श पी 6	नक्शा मौका
07	प्रदर्श पी 7	फर्द जब्ती कागजात, फर्द पंचायतनामा बिजेन्द्र गुर्जर
08	प्रदर्श पी 8	नोटिस धारा 133 एम.वी. एक्ट
09	प्रदर्श पी 9	पुलिस बयान महेन्द्र
10	प्रदर्श पी 10	पुलिस बयान बाबुलाल
11	प्रदर्श पी 11	पोस्टमार्टम रिपोर्ट

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
1	प्रदर्श डी 1	पुलिस बयान बाबुलाल पुत्र भगवानाराम गुर्जर

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण

––

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	––	––

निर्णय **दिनांक : 20.08.2026**

1– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी प्रवीण कुमार ने दिनांक 15.08.2016 को पुलिस थाना उदयपुरवाटी के समक्ष तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि कल दिनांक 14.08.2016 को गुढ़ा रिश्तेदारी में जाकर गुढ़ा से करीब 2 बजे वापस रवाना गाँव के लिए हुए थे, एक मोटरसाईकिल नम्बर आरजे 23 एसडब्ल्यु– 6250 पर उसका ताऊ का लड़का सुमेरसिंह पुत्र ग्यारसीलाल व दुसरी मोटरसाईकिल पर वह तथा उसका अंकल महेन्द्र कुमार पुत्र शिवचन्द दोनों थे, गुढा से रवाना होकर करीब 3.00 बजे के आसपास घाट के पास पहुंचे तो सुमेरसिंह का कोई व्यक्ति और मिल गया, जिसको सुमेर ने पीछे बैठा लिया। सुमेर व साथी आगे चल रहे थे करीब 3.10 के आसपास वे छापोली से मन्डावरा की तरफ करीब दो किलोमीटर चले तो मन्डावरा की तरफ से एक मारूती RITZ जिसके नम्बर आरजे 23 सीए 8199 का चालक ने तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चालाता आया तथा उनसे आगे चल रही मोटरसाईकिल पर सुमेरसिंह की मोटरसाईकिल को टक्कर मारी, जिससे सुमेर व उसके साथ पीछे बैठा उसका साथी विजेन्द्र गुर्जर पुत्र रामगोपाल गुर्जर, निवासी मन्डावरा मोटरसाईकिल सहित रोड़ पर गिर गये जिनको वहां से तुरन्त ही उन्होंने प्राईवेट गाड़ी से सरकारी अस्पताल उदयपुरवाटी लेकर आये तथा दोनों के गम्भीर चोट होने की वजह से दोनों को एस.के. अस्पताल सीकर रैफर कर दिया गया। दौराने इलाज उसके भाई सुमेरसिंह पुत्र ग्यारसीलाल की 6 बजे के आसपास मृत्यु हो गई, जिसकी लाश सीकर मुर्दाघर में रखी गयी है। दुर्घटना गाड़ी नम्बर आरजे 23 सीए 8199 के चालक द्वारा गफलत, लापरवाही व तेज गति से चलाकर गलत दिशा में आकर उसके भाई की मोटरसाईकिल के टक्कर मारने पर गठित हुई इत्यादि पर प्रकरण संख्या 277/2016 धारा 279, 337, 304 ए भा.द.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त परमेश्वरलाल के विरूद्ध धारा 279, 304 ए भा.द.सं. में आरोप पत्र पेश किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराधों का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण फौजदारी नियमित में दर्ज करने का आदेश दिया गया।

2– अभियुक्त को धारा 279, 304 ए भा.द.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों का पृथक से आरोप सारांश सुनाया व समझाया गया जिसे सुन समझकर अभियुक्त ने जुर्म से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

3– अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या 2 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाए गए एवं पृष्ठ संख्या 3 पर भाग द्वितीय में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए।

4– अभियुक्त के बयान मुलजिम धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में लेखबद्ध किये गये जिसमें अभियुक्त ने गवाहान की साक्ष्य को गलत बतलाया तथा स्वयं को निर्दोष होना व झुठा फंसाया जाना बतलाया। साक्ष्य सफाई प्रस्तुत नहीं करनी चाही।

5– बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया। इसके विपरित विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन किया है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को साबित करने बाबत कोई सारभूत साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

6– अतः न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि –

(1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 14.08.2016 को 03.10 पीएम के लगभग मौजा मण्डावारा–छापोली आम सड़क पर वाहन मारूती RITZ नम्बर आरजे 23 सीए 8199 को तेज गति व लापरवाही/उतावलेपन/उपेक्षापूर्ण चलाकर मानव जीवन का संकटापन किया और इस अनुक्रम में परिवादी प्रवीण के भाई सुमेरसिंह की मोटरसाईकिल नम्बर आरजे 23 एसडब्ल्यू 6250 जो छापौली की तरफ से मण्डावरा आ रहे थे के गलत दिशा में जाकर टक्कर मारी, जिसके फलस्वरूप उक्त मोटरसाईकिल पर सवार सुमेर व उसका साथी बिजेन्द्र गुर्जर पुत्र रामगोपाल गुर्जर के शरीर पर आई गम्भीर चोटों के कारण उनकी मृत्यु कारित हुई?

(2) यदि हाँ, तो अभियुक्त के लिए उचित दण्ड क्या होगा?

7– उक्त विचारणीय बिन्दु को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से 08 गवाहान को न्यायालय में पेश कर परीक्षित कराया है। उक्त विचारणीय बिन्दु को अभियोजन को संदेह से परे साबित करना था। हस्तगत प्रकरण परिवादी प्रवीण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पर संस्थित किया गया है। सर्वप्रथम उक्त गवाह की साक्ष्य का विवेचन करें तो गवाह प्रवीण ने न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू.1 के रूप में परीक्षित होकर अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 14.08.2016 को दोपहर 2.30 बजे गुढा से अपने रिश्तेदारी में जाकर आ रहा था। वह अपनी मोटर साईकिल से अपने चाचा महेन्द्र के साथ नीमकाथाना के लिए आ रहा था तो एक मोटरसाईकिल आरजे 23 एस डब्लू 6250 उसका ताउ का लडका सुमेर सिंह अपनी मोटर साईकिल से करीब 50 मीटर आगे चल रहा था जैसे ही वो लोग अपने घर के पास पहुंचे तो सुमेर सिंह को कोई परिचित मिला तो वह सुमेर सिंह के साथ बैठ गया। करीब 3.30 बजे छापोली से मंडावरा की तरफ वे लोग निकले एक मारूती आरजे 23 सी ए 8199 का चालक अपने वाहन को

तेजी व लापरवाही से भगा कर लाया व उनके आगे चल रही मोटरसाईकिल सुमेर सिंह की मोटरसाईकिल के टक्कर मारी जिससे सुमेर सिंह व उसका दोस्त दुर्घटना के कारण मोटर साईकिल से सडक पर गिर गये। यह दुर्घटना मारूति कार नम्बर आर जे 23 सीए 8199 के चालक द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही के कारण घटित हुई थी। मौके पर उसने व चाचा महेन्द्र ने सुमेर सिंह व उसके दोस्त विजेन्द्र गुर्जर को प्राइवेट वाहन से उदयपुरवाटी सरकारी अस्पताल लाये जिन्हें गंभीर हालत होने के कारण सीकर रैफर किया गया था। दौराने इलाज सुमेर सिंह व विजेन्द्र सिंह की दुर्घटना में चोट आने पर मृत्यु हो गई थी। घटना की तहरीर रिपेार्ट प्रदर्श पी 01 उसकी कलमी है जो उसने सीकर अस्पताल में दी थी। फर्द जप्ती एक होण्डा कार आरजे 23 सीए 8199 की कार्यवाही पुलिस ने उसके सामने की थी। फर्द जप्ती सुपुर्दगी में मोटर साईकिल आरजे 23 एस डब्लू 6250 की कार्यवाही पुलिस ने उसके समक्ष की थी जो प्रदर्श पी 03 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व फर्द पंचायतनामा मृत्यु सुमेर सिंह प्रदर्श पी 04 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। कार्यवाही पुलिस एस के अस्पताल सीकर से की थी। फर्द सुपुर्दगी लाश मृत्यु सुमेर सिंह सिंह प्रदर्श पी 05 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर थे। कार्यवाही उसके सामने की थी। नक्शा मौका प्रदर्श पी 06 उसके समक्ष हुई थी जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर थे।

8– इस गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि यह सही है कि उसने ड्राईवर को नहीं देखा ना ही वह जानता है। दुर्घटना हुई तब वह 100 मीटर दूरी पर था। गवाह ने स्वीकार किया कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो गाड़ी चालक व गाड़ी भाग गये थे। उसे लोगों के कहे अनुसार गाड़ी के नम्बर बताये थे। उसने गाड़ी के नम्बर नहीं देखे। उसने परमेश्वर को दुर्घटना करते नहीं देखा था।

9– पी०डब्ल्यु० 2 बाबुलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि विजेन्द्र उसका साला था। दिनांक 14.08.2016 को उसका साला जो कोटड़ी से घाट की तरफ से बाईक ले जा रहा था। दिन में करीब 3.15 पीएम बी बात थी मोटर साईकिल सुमेर सिंह की थी सुमेर सिंह मोटरसाईकिल चला रहा था। मंडावरा व छापोली के बीच में उसका साला विजेन्द्र व सुमेरसिंह की दुर्घटना हो गई थी। दुर्घटना कारित करने वाली गाडी आर जे 23 सी ए 8199 थी। दुर्घटना में विजेन्द्र व सुमेर सिंह के चोटें आयी थी, जिन को मौके से प्रवीण व महेन्द्र कुमार सीएचसी उदयपुरवाटी लेकर आये जहां से सीधा रैफर कर दिया था। दौराने इलाज सुमेर सिंह व विजेन्द्र की दुर्घटना में आई चोटों के कारण मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना मारूति चालक की गलती से हुई थी। फर्द पंचायतनामा विजेन्द्र मृत्यु की कार्यवाही फर्द पंचायत नामा मृत्यु प्रदर्श पी 07 है जिसकी पुश्त पर क्रमशः ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

10– इस गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि दुर्घटना के समय वह मौजूद नहीं था। यह बात सही है कि प्रवीण व महेन्द्र के कहे अनुसार बयान दिये थे। उसे नहीं पता कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई। यह बात सही है कि घाट से लेकर किरोड़ी तक काफी घुमाव भी है

व रोड़ उंची नीची भी है जिससे आमने सामने के साधन आते हुए दिखई देना बन्द हो जाते हैं। मोटरसाईकिल तेज गति व लापरवाही से आने के कारण दुर्घटना हुई हो तो वह नहीं बता सकता क्योंकि वह मौके पर नहीं था। यह बात सही है कि विजेन्द्र के परिजनो को क्लेम मिल गया है। हमने क्लेम के लिए मुकदमा किया था। उसके थाने में बयान नहीं हुए थे। प्रदर्श डी 1 का ए से बी भाग पुलिस को देने से इन्कार किया। वह मुलजिम के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता। उसका मुलजिम से राजीनामा हो गया।

11– पी०डब्ल्यु० 4 महेन्द्र कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह आज से करीब 7 साल पहले की बात थी सुमेर व प्रवीण दोनों मोटरसाईकिलों पर रिश्तेदारी में गुढा की ओर आ रहे थे। रास्ते में घाट के पास मोटरसाईकिल सवार सुमेर व प्रवीण के किसी गाडी वाले ने टक्कर मार दी, जिससे उनके शरीर के चोटे आयी थी। दौराने इलाज दोनों खत्म हो गये थे। टक्कर मारने वाली गाडी कौनसी थी न तो उसे उसके नम्बर पता है और न ही उसने घटना देखी, न उसे घटना के बारे मे किसी ने बताया। पुलिस ने उसके तीन चार खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराये थे। इस गवाह को अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। विद्वान अभियोजन अधिकारी से हुई जिरह में गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 9 का ए से बी हिस्सा पुलिस को बताने से इन्कार किया है। गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि उसके सामने छापोली से मण्डावरा के बीच मण्डावरा की तरफ से एक कार आरजे 23 सीए 8199 के चालक ने तेज गति व लापरवाही से चलाकर सुमेर की मोटरसाईकिल के टक्कर मारी हो, जिससे सुमेर व विजेन्द्र गुर्जर के चोटें आई हो। इस सुझाव को गलत बताया कि प्रदर्श पी 6 की कार्यवाही मौके पर उसके सामने की जाकर उसके हस्ताक्षर करवाये हो। गवाह ने पुलिस द्वारा कार को उसके सामने जब्त करने के तथ्य से इन्कार किया। गवाह ने पुलिस द्वारा क्षतिग्रस्त मोटरसाईकिल का निरीक्षण स्वयं के सामने तैयार करने के तथ्य से इन्कार किया। इस सुझाव को गलत बताया कि दिनांक 14.08.2016 को उसके सामने कार नम्बर आरजे 23 सीए 8199 के चालक परमेश्वरलाल ने तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाकर मोटरसाईकिल के टक्कर मारी हो।

12– अधिवक्ता अभियुक्त से हुई जिरह में गवाह ने कथन किया है कि एक्सीडेन्ट के समय वह अपने गांव घर पर था। उसने ट्रक से एक्सीडेन्ट के बारे में सुना था। सुमेर व प्रवीण के ट्रक से चोटें आई थी। पुलिस ने प्रदर्श पी 3 उसके सामने तैयार नहीं किया। उसके तो केवल खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे। सुमेर व प्रवीण को क्लेम मिल गया है। क्लेम के लिए मुकदमा किया हो तो उसे नहीं पता। अब इस मुकदमे की कार्यवाही नहीं चाहते। गवाह ने स्वयं के सामने कोई गाड़ी जब्त करने के तथ्य से इन्कार किया है।

13– पी०डब्ल्यु० 5 बाबूलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि विजेन्द्र उसका छोटा भाई था, जिसकी करीब आठ साल पहले सडक दुर्घटना में चोंटों से मृत्यु हो गई थी। घटना उसके सामने नहीं हुई थी। घटना कैसे हुई किस वाहन से हुई किसकी लापरवाही से हुई उसे

जानकारी नहीं है। उसके सामने तो केवल एस एम एस अस्पताल में पुलिस ने पंचायतनामा बनाया था उसके हस्ताक्षर जरूर करवाए थे। इस गवाह को भी अभियोजन अधिकारी ने पक्षद्रोही घोषित किया है। विद्वान अभियोजन अधिकारी से हुई जिरह में गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 10 का हिस्सा ए से बी पुलिस को बताने से इन्कार किया है। गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि दिनांक 14.08.2016 को विजेन्द्र व सुमेर के मोटरसाईकिल पर बैठे हुए के मारूति रिटज कारनम्बर आरजे 23 सीए 8199 के चालक परमेश्वरलाल ने तेज गति व लापरवाही से वाहन को गलत दिशा में लाकर टक्कर मारी हो, जिससे दौराने इलाज चोटों से मृत्यु हुई हो।

14– अधिवक्ता अभियुक्त से हुई जिरह में कथन किया है कि उसे दुर्घटना की कोई जानकारी नहीं है।

15– पी०डब्ल्यु० 3 जयसिंह इनिया ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह वाहन मारूति Ritz नम्बर आर जे 23 सी ए 8199 का पंजीकृत स्वामी है। आज से करीब साढे छः साल पहले पुलिस वालों ने उसकी गाडी के ऑरिजनल आर सी, इंश्योरेन्स जप्त किये थे। चालक का डी.एल. जब्त नहीं किया। पुलिस ने उसके दो तीन खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे। उसने अपने वाहन पर परमेश्वर को कभी भी चालक नहीं रखा। दिनांक 14.08.2016 को उसके वाहनपर परमेश्वर चालक नहीं था। पुलिस ने उसे नोटिस 133 एम.वी. एक्ट नहीं दिया। उसके तो केवल खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे। बाद में पुलिस ने क्या लिखा उसे जानकारी नहीं है। विद्वान अभियोजन अधिकारी ने गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया है। विद्वान अभियोजन अधिकारी से हुई जिरह में गवाह ने प्रदर्श पी 8 नोटिस 133 एमवी एक्ट पर ए से बी जवाब के नीचे सी से डी हस्ताक्षर स्वयं के होना स्वीकार किया है। गवाह ने कहा कि उसके तो केवल हस्ताक्षर करवाये थे, ए से बी जवाब जब उसने हस्ताक्षर किये तब लिखा हुआ नहीं था। इस सुझाव को गलत बताया कि दुर्घटना दिवस 14.08.2016 को समय 3.00 पीएम के आसपास उसकी कार पर परमेश्वरलाल ही चालक हो। इस सुझाव को गलत बताया कि परमेश्वर को उसने बतौर चालक नियुक्त किया हो।

16– इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा में पुलिस द्वारा उससे खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाना स्वीकार किया है। गवाह ने कथन किया कि पुलिस के डर से पुलिस वालों के कहे अनुसार ही उसने हस्ताक्षर किये थे।

17– पी.डब्ल्यू 07 डॉ मनोज कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 15.08.2016 को एसएमएस अस्पताल जयपुर में मेडिकल ज्यूरिष्ट के पद पर पदस्थापित था। उस रोज पीएस अशोक नगर जयपुर के प्रतिवेदन पर मृतक विजेन्द्र गुर्जर पुत्र गोपालराम, उम्र 20 साल निवासी मण्डावरा तहसील उदयपुरवाटी के मृत शरीर का पोस्टमार्टम कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 11 तैयार की जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, सी से डी उसकी राय है। उसकी राय में मृत्यु का कारण शॉक था जो मृत्यु पूर्व मृतक के चोट सं. 1 व 2 की वजह से था। सभी चोटे मृत्यु पूर्व कारित थी। सभी चोटे ताजा अवधि की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वर्णित चोटें प्रकृति के

सामान्य अनुक्रम में मृत्यु करने के लिये पर्याप्त थी।

18– इस गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि यह कहना सही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डिस्पेच नम्बर नहीं लगे हुए हैं। मृतक का शव कितने बजे उसके समक्ष लाया गया व पोस्टमार्टम में कितना समय लगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित नहीं है। रिपोर्ट पुलिस को कब सौंपी रिपोर्ट में अंकित नहीं है। गवाह ने कहा कि पास्टमार्टम करने के तुरन्त बाद कॉपी दे दी थी। उसने प्राप्ति रसीद नहीं ली या नहीं आज उसे याद नहीं है।

19– पी०डब्ल्यु० 6 सुरेश कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 15.08.2016 को पुलिस वालों ने उसके सामने छापोली मण्डावरा जाने वाली आम सडक पर दुर्घटना बाबत मौका देखा था। मौके पर ही नक्शा मौका प्रदर्श पी 06 बनाकर ई से एफ उसके हस्तक्षर कराये थे। उस समय मौके पर महेन्द्र व प्रवीण थे उनके भी हस्ताक्षर करवाये थे। पुलिस ने उसी रोज थाने में उसके सामने एक मारूति रीटज कार जिसके नम्बर आर जे 23 सी ए 8199 थे को जरिये फर्द प्रदर्श पी 02 से जप्त किया जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर करवाये थे। उसी रोज थाने में क्षतिग्रस्त मोटर साईकिल का निरीक्षण कर फर्द प्रदर्श पी 03 बनाकर मोटरसाईकिल प्रवीण को सुपुर्द की थी प्रदर्श पी 03 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं।

20– इस गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि पुलिस वालों ने उसके खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे। पुलिस ने उसके सामने कोई मौका नहीं देखा। पुलिस ने उसके कोई बयान नहीं लिए। प्रदर्श पी 6 व 2 स्वयं के सामने तैयार करने के तथ्य से इन्कार किया है।

21– पी०डब्ल्यु० 8 सवाईदान ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दस साल पहले पुलिस ने उसके सामने गाड़ी के कागजात जब्त नहीं किये। उसके तो थाने पर केवल हस्ताक्षर करवाये थे। विद्वान अभियोजन अधिकारी की ओर से इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। इस गवाह ने विद्वान अभियोजन अधिकारी से हुई जिरह में प्रदर्श पी 7 पर सी से डी हस्ताक्षर स्वीकार किया है। गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि उसके सामने मारूति रिट्ज कार के मूल आरसी, इंश्योरेंस व चालक का डीएल पुलिस ने जब्त किया हो।

22– इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा में पुलिस द्वारा खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाने का कथन किया है।

23– उपरोक्तानुसार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रकरण में अहम गवाह स्वयं परिवादी पी०डब्ल्यु० 1 प्रवीण ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 दर्ज करवाई है, जिसमें मारूति रिट्ज आरजे 23 सीए 8199 के चालक द्वारा वाहन को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चालते हुए मोटरसाईकिल नम्बर आरजे 23 एसडब्ल्यु 6250 के टक्कर मारने के परिणामस्वरूप मोटरसाईकिल पर बैठे सुमेर व उसके पीछे बैठा विजेन्द्र के आई गम्भीर चोटों के कारण उनकी मृत्यु होना अंकित किया गया है। इस सम्बन्ध में परिवादी पी०डब्ल्यु० 1 प्रवीण ने अपनी मुख्य परीक्षा में मारूति रिट्ज आरजे 23 सीए 8199 के चालक द्वारा तेज गति से व

लापरवाही से चलाये जाने के कारण मोटरसाईकिल के टक्कर लगने से सुमेरसिंह व विजेन्द्र सिंह की दुर्घटना में मृत्यु होने का कथन किया है, किन्तु इस गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में ड्राईवर को देखने व जानने के तथ्य से इन्कार किया है एवं दुर्घटना हुई तब दुर्घटना स्थल से 100 मीटर दूरी पर होना बताया है। गवाह ने स्वीकार किया कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो गाड़ी चालक व गाड़ी भाग गये थे। इस गवाह ने लोगों के कहे अनुसार गाड़ी के नम्बर बताने का कथन किया है एवं गाड़ी के नम्बर देखने व परमेश्वर को दुर्घटना करते देखने के तथ्य से इन्कार किया है। इस प्रकार यह गवाह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं होकर अनुश्रुत साक्षी प्रतीत होता है जैसा कि इसके बयानों से प्रकट होता है। इस प्रकार इस गवाह के बयानों से अभियोजन को कोई मदद मिलना नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार घटना का दूसरा अहम गवाह पी०डब्ल्यु० 2 बाबुलाल परीक्षित हुआ है जिसने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दुर्घटना कारित करने वाली गाड़ी आरजे 23 –8199 थी किन्तु इसके आगे गवाह ने यह भी कथन किया है कि उसे नम्बर ध्यान नहीं है। दुर्घटना में सुमेर सिंह व विजेन्द्र की मृत्यु होने का कथन किया है किन्तु गवाह ने इस तथ्य से अनभिज्ञता प्रकट की है कि दुर्घटना मारूति चालक की गलती से हुई हो। गवाह ने चालक का नाम क्या था इस सम्बन्ध में भी अनभिज्ञता प्रकट की है। अधिवक्ता अभियुक्त से हुई जिरह में गवाह ने दुर्घटना के समय स्वयं का मौजूद होने के तथ्य से इन्कार किया है। साथ ही गवाह प्रवीण व महेन्द्र के कहे अनुसार बयान देना स्वीकार करता है। इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य भी अभियोजन कहानी के सम्बन्ध में विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। इस गवाह ने मुलजिम से राजीनामा होने के तथ्य को स्वीकार किया है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से भी अभियोजन को कोई मदद मिलना नहीं पाया जाता है। पी०डब्ल्यु० 4 महेन्द्र कुमार भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है किन्तु यह गवाह भी पक्षद्रोही हुआ है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सुमेर व प्रवीण के किसी गाड़ी वाले द्वारा टक्कर मारना बताया है। इस प्रकार यह गवाह अभियोजन कहानी से बिल्कुल अलग ही प्रवीण के टक्कर मारना बताता है जबकि यह गवाह मजरूब नहीं है। इस गवाह को अभियोजन अधिकारी ने पक्षद्रोही घोषित किया है एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी से हुई जिरह में गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 9 का ए से बी हिस्सा पुलिस को बताने से इन्कार किया है। गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि उसके सामने कार आरजे 23 सीए 8199 के चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही से चलाकर सुमेर की मोटरसाईकिल के टक्कर मारी हो, जिससे सुमेर व विजेन्द्र गुर्जर के चोटें आई हो। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि सुमेर व प्रवीण को क्लेम मिल गया है। गवाह ने कथन किया कि अब इस मुकदमे में कोई कार्यवाही नहीं चाहते। इस प्रकार इस गवाह के बयान से भी अभियोजन को कोई मदद नहीं मिलती है। इसी प्रकार पी०डब्ल्यु० 5 बाबुलाल भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना उसके सामने नहीं हुई थी। घटना कैसे हुई किस वाहन से हुई, किसकी लापरवाही से हुई इस तथ्य से अनभिज्ञता प्रकट की है। यह गवाह भी पक्षद्रोही हुआ है। अभयोजन अधिकारी से हुई जिरह में गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 10 का ए से बी हिस्सा पुलिस को देने से

इन्कार किया है। गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि मारूति चालक परमेश्वरलाल ने तेज गति व लापरवाही से वाहन को गलत दिशा में लाकर टक्कर मारी हो। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त होना नहीं पाया जाता है। पी०डब्ल्यु० 7 डॉ० मनोज कुमार शर्मा ने विजेन्द्र गुजर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 11 के सम्बन्ध में साक्ष्य दी है किन्तु महत्वपूर्ण गवाहान के बयानों में विरोधाभाष व पी०डब्ल्यु० 4 महेन्द्र कुमार एवं पी०डब्ल्यु० 5 बाबुलाल जो कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण हैं के पक्षद्रोही हो जाने के तथ्य को देखते हुए इस गवाह से अभियोजन को कोई मदद मिलना नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार पी०डब्ल्यु० 3 जयसिंह इनिया ने अपनी मुख्य परीक्षा में परमेश्वर को अपने वाहन पर चालक रखने के तथ्य से इन्कार किया है एवं साथ ही धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस पुलिस द्वारा देने के तथ्य से भी इन्कार किया है। गवाह ने जिरह में पुलिस द्वारा खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाने का कथन किया है। इस प्रकार यह गवाह भी अभियोजन की कोई मदद नहीं करता है। पी०डब्ल्यु० 6 सुरेश कुमार नक्शा मौका प्रदर्श पी 6 एवं फर्द जब्ती वाहन प्रदर्श पी 2 व फर्द निरीक्षण मोटरसाईकिल प्रदर्श पी 3 का औपचारिक गवाह है जिसकी साक्ष्य से भी उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन को कोई मदद नहीं मिलती है। पी०डब्ल्यु० 8 सवाईदान ने स्वयं के सामने गाड़ी के कागजात जब्त करने से इन्कार किया है एवं यह गवाह पक्षद्रोही रहा है। इस गवाह के बयानों से भी अभियोजन को कोई मदद नहीं मिलती है। अतः अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रकरण के गवाहान की साक्ष्य से अभियोजन कहानी को कोई बल प्राप्त होने बाबत साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है।

24– इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के विवेचन व विश्लेषण से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 14.08.2016 को 03.10 पीएम के लगभग मौजा मण्डावारा–छापोली आम सड़क पर वाहन मारूती RITZ नम्बर आरजे 23 सीए 8199 को तेज गति व लापरवाही/उतावलेपन/उपेक्षापूर्ण चलाकर मानव जीवन का संकटापन किया और इस अनुक्रम में परिवादी प्रवीण के भाई सुमेरसिंह की मोटरसाईकिल नम्बर आरजे 23 एसडब्ल्यू 6250 जो छापौली की तरफ से मण्डावरा आ रहे थे के गलत दिशा में जाकर टक्कर मारी, जिसके फलस्वरूप उक्त मोटरसाईकिल पर सवार सुमेर व उसका साथी बिजेन्द्र गुर्जर पुत्र रामगोपाल गुर्जर के शरीर पर आई गम्भीर चोटों के कारण उनकी मृत्यु कारित हुई। अतः अभियुक्त को धारा 279, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

––आदेश––

25– परिणामतः अभियुक्त परमेश्वरलाल पुत्र गोपीराम, उम्र 38 वर्ष निवासी नायकान मौहल्ला भड़कासली, पुलिस थाना धोद, जिला सीकर को अपराध अंतर्गत धारा 279, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

26– अभियुक्त धारा **437A** दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दस–दस हजार रूपये के मुचलके प्रस्तुत करे कि इस प्रकरण में अपील/निगरानी होने की सूरत में वह स्वयं अपीलीय/निगरानी न्यायालय में उपस्थित हो जायेगा।

(रंजना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उदयपुरवाटी

27– निर्णय आज दिनांक **20.08.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षर कर सुनाया गया ।

(रंजना)

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उदयपुरवाटी